भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या **170***

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का संतुलित उपयोग

170*. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों के बीच उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2019 से क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने को प्रस्ताव है;
(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 से देश में किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता के लिए आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उपर्युक्त राजसहायता के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार का देश में उर्वरकों की बिक्री को सुव्यवस्थित/चैनलाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"उर्वरकों का संतुलित उपयोग" के संबंध में दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 170* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) इनआर्गेनिक और आर्गेनिक दोनों स्त्रोतों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन की सिफारिश करके उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देता है। आईसीएआर जैव उर्वरकों/जैव-समृद्ध आर्गेनिक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं के साथ-साथ उत्पादों दोनों का विकास करता है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने, 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" का अनुमोदन किया है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) द्वारा शुरू किए गए जन अभियान का समर्थन करना है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में आर्गेनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ 1500 रूपए/मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है, जिसमें रिसर्च गैप फडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपये की कार्पस निधि शामिल है।

(ख): सरकार किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को वास्तविक बिक्री पर जारी की जाती है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 (30.11.2024 की स्थिति के अनुसार) में उर्वरकों के लिए प्रदान की गई सब्सिडी क्रमशः 1,95,420.51 रुपये और 1,19,628.49 रुपये है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान, उर्वरक विभाग की उर्वरक सब्सिडी स्कीम से क्रमशः 6,38,92,286 और 4,91,56,960 किसान लाभान्वित हुए हैं।

(घ): सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ उपलब्धता की निरंतर निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

*****